

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर**

-:कार्यालय आदेश:-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/SPL दिनांक 29.09.2019 की पालना में निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. संबंधित कार्मिक का परीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरुद्ध वाद विचाराधीन हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापकों को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
5. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाले कार्मिक निर्धारित गम्भीर रोगों से ग्रसीत (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे एवं उनके विरुद्ध आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर उन्हें मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावे।
6. स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
7. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद नाम	विषय	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
	(सर्व श्री/श्रीमती)						
1	रणवीर सिंह	Class IV	-	राउमावि भूदोली, नीमकाथाना स्थानान्तरणाधीन	Sikar	राउमावि बढोठ, लक्ष्मणगढ	Sikar

(मुकेश कुमार मेहता)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर

दिनांक:- 29.09.2019

क्रमांक: जिशिअ/सी/मु-माध्य/संस्था-1/स्थानान्तरण/2019/05

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
6. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि/रागावि.....
7. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती.....
8. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर